Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/4243/2003/चितोडगढ

1 देवा पुत्र रामचन्द
2 चुन्नीलाल पुत्र रामचन्द समस्त जाति चमार निवासी ग्राम लांगच तहसील कपासन जिला चितोडगढ

अपीलार्थीगण

बनाम

1 गिरधारी पुत्र हजारी
2 श्रीलाल पुत्र हेमा समस्त जाति डांगी निवासी लांगच तहसील कपासन
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री राजेश गौतम वकील अपीलार्थीगण
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.23.2.18

यह द्वितीय अपील धारा224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 279/01 में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एकवाद उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88, 89व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लांगच की आराजी खसरा नम्बर 1509, 1510 कुल रकबा 0.50 हेक्टर के वादीगण खातेदार काश्तकार होकर उक्त आराजीयात पर सम्वत 1918 से वादीगण के पिता के पिता भेरा को ओनाडसिंह ने दी थी तभी से वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण का कब्जा मुखलफाना हो गया। परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वे वादीगण को बेदखल

करना चाहते हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 26.9.2001 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय दिनांक 28.3.2003 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि ओनाडसिंह द्वारा सम्वत 1918 में वादी अपीलार्थीगण के पूर्वज भेराजी को काश्त हेतु दी थी तब से वादीगण के पूर्वज व वर्तमान में वादीगण अपीलार्थीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। परन्तु राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज हो गई। इस गलत अंकन से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन भी नहीं किया है तथा वे न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए है जिससे प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण की सहमति स्पष्ट प्रकट होती है। अपीलार्थीगण का 40 वर्ष से अधिक पुराना लगातार कब्जा होने से वे एडवर्स पजेशन से खातेदार बन जाते हैं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना साबित नहीं होता है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी की होना प्रकट होता है। वादीगण ने बिकावनामा की फोटो प्रति पेश की है जो सादा कागज पर है जिससे वादीगण को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादीगण का 30–40 साल से कब्जा होना भी साबित नहीं कराया गया है, वादीगण का वाद खारिज किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ ने भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए वादीगण का पुराना कब्जा होना साबित नहीं होना मानकर अपील खारिज की है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2052 में विवादित भूमि नोला बेवा कंवला पिता मोडा डांगी के खातेदारी में दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 85 से विरासत के आधार पर गिरधारी पुत्र हजारी 1/2 लाला पिता हेमा 1/2 जाति डांगी की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपीलार्थीगण का कथन रहा है कि विवादित भूमि पर उनका पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे एडवर्स पजेशन से वे खातेदार बन गये हैं। प्रथम तो एडवर्स पजेशन से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस संबंध में विभिन्न न्याय दृष्टान्तों में स्पष्ट मत प्रतिपादित किये जा चुके हैं। द्वितीय वादी अपीलार्थीगण द्वारा उनका 40 साल पुराना कब्जा काश्त होने के समर्थन में किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थीगण को विवादित भूमि पर एडवर्स पजेशन होना भी साबित नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं इस अपील में कोई सार नहीं होने से खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.3.2003 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष